

¹[प्ररूप सं. 10-झट

[नियम 21कजक और नियम कजकक देखें]

नियम 21कजक के उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त आय की वार्षिक विवरणी और नियम 21 कजकक के उपनियम (2) के अधीन कर योग्य आय

क्रम सं.										
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम (घोषणाकर्ता)									
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता									
3.	विधिक स्थिति [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व वाली भागीदारी/निगमित निकाय]									
4.	स्थायी खाता संख्या:									
5.	पिछले वर्ष समाप्त:									
6.	स्थापना/निगमन की तारीख		ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
7.	प्रचालन के आरंभ होने की तारीख		ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
8.	1.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अधीन श्रेणी-1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या								
	2.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व
9.	क्या नियम 21अजअ के उप-नियम (3) द्वारा आज्ञापक रूप से शर्तों के अनुसार पूर्ण किया है		हाँ/नहीं							
10.	किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्चेंज पर, इसके द्वारा आयोजित अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय है; [अ]		(रुपए में)							
	इसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई आय (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के सिवाए); [आ]		(रुपए में)							
	इसके द्वारा धारित और एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापना नहीं होने के कारण) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न; [इ]		(रुपए में)							
	एक प्रतिभूतिकरण न्यास से पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई आय, जो "व्यापार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के अधीन प्रभार्य है [ई]		(रुपए में)							
	पात्र निवेश प्रभाग की आय [अ+आ+इ+ई]		(रुपए में)							

11.	धारा 115कघ की उप-धारा (1ख) के अधीन कर योग्य आय की गणना	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में निर्दिष्ट प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न, या प्राप्त की गई अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से आय है और जो ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (अ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 112क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (आ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (इ)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 111क में प्रतिभूति के सिवाए, अंतरण के परिणाम के रूप में पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पावधि पूंजी लाभ के माध्यम से आय, और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (ई)	(रुपए में)
	अधिनियम की धारा 194उड में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति होते हुए अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित है। (उ)	
	अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों से आय है और उपरोक्त मद ई में सम्मिलित नहीं है। (ऊ)	(रुपए में)
	पात्र निवेश प्रभाग की आय [अ+आ+इ+ई+उ+ऊ]	(रुपए में)

घोषणा

मैं, _____ (नाम पूर्ण और बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी दिए गए प्ररूप में जो कथन किया गया है वह सही और पूर्ण है;

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (पदनाम) के रूप में अपनी क्षमता में ऐसा विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं यह घोषणा करने और यह विवरण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान :

तारीख :

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद]

-
1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **1.4.2022** से अंतःस्थापित ।